



राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल

RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD

4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर

फोन नं.: 5101871, 5101872, ईपीबीएक्स: 5159600, 5159699 फैक्स: 5159694-97

क्रमांक: एफ III (543)/रा.प्र.नि.मं./स्था./2356

दिनांक 8/12/16

कार्यालय आदेश

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल कर्मचारी सेवा नियम एवं विनियम, 1993 तथा यथा संशोधित नियमों के अन्तर्गत, कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी/कनिष्ठ पर्यावरण अभियन्ता के रिक्त पदों पर दिनांक 16-10-2016 को आयोजित सीधी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा, 2016 में पूर्णतया अस्थाई (Purely Provisional) रूप से चयनित घोषित अभ्यर्थियों की पात्रता की जाँच मूल दस्तावेजों से की जानी है।

अतः कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी/कनिष्ठ पर्यावरण अभियन्ता सीधी भर्ती परीक्षा-2016 में पूर्णतया अस्थाई (Purely Provisional) रूप से सफल घोषित अभ्यर्थियों की पात्रता की जाँच हेतु दिनांक 19-12-2016 को प्रातः 10-00 बजे से कॉन्फ्रेंस हॉल, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, झालाना डूंगरी, जयपुर पर आवश्यक रूप से आवेदित आवेदन की हार्ड कॉपी 2 प्रतियों में (हार्ड कॉपी में नवीनतम पासपोर्ट साईज का फोटो चिपकाकर) एवं समस्त मूल दस्तावेजों के साथ (दस्तावेजों की छाया प्रतियों सहित) उपस्थित होंगे।

कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी

5053	5567	5741	5054	5307	5513	5003
5931	5235	5117				

कनिष्ठ पर्यावरण अभियन्ता

1211	2790	1545	1546	1499	2604	1861
1254	1899	2794	2990	2234	2071	1586
1103	3164	1955	1814	2579	2569	2833
2553	1767	1093	1051			

पात्रता जाँच हेतु उपस्थित होते समय निम्न बातों का विशेष रूप से ध्यान रखा जावे:-

- मण्डल की बेवसाईट <http://www.environment.rajasthan.gov.in/rpcb> पर "कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी/कनिष्ठ पर्यावरण अभियन्ता के पद के लिए जारी विज्ञापित विज्ञापन संख्या प0/01-2016/1134 दिनांक 14-07-2016 का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लें।
- ऑन लाईन आवेदन में दर्शाये गये समस्त मूल दस्तावेज एवं छाया प्रतियाँ लाना सुनिश्चित करें।
- आवेदक को स्वयं के 2 नवीनतम फोटो (पासपोर्ट साईज) लाना आवश्यक है।
- शैक्षणिक योग्यता, आयु, जाति, आचरण, विशेष योग्यजन, विवाह, सेवारत होने सम्बन्धी मूल प्रमाण पत्र एवं दस्तावेज तथा स्वयं का पहचान पत्र आदि समस्त दस्तावेज आवश्यक रूप से साथ लावें।
- प्रमाण पत्रों एवं दस्तावेजों की स्वयं द्वारा प्रमाणित प्रति।
- राजस्थान राज्य में संस्थाई सेवारत हैं तो उसका प्रमाण एवं नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र लाना आवश्यक है।
- आयु में ली गई छूट सम्बन्धी प्रमाण।

सलगन: चैक लिस्ट

(के. सी. ए. अरुण प्रसाद)
सदस्य सचिव

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर

कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी/कनिष्ठ पर्यावरण अभियन्ता के पद पर नियुक्ति हेतु दस्तावेजों की चैक लिस्ट

क्र.सं.	दस्तावेज (सूचना)	अभ्यर्थी सम्बद्ध कॉलम में टिक करे या अंकित करें	पृष्ठ संख्या	कार्यालय हेतु
1	पद का नाम (कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी/कनिष्ठ पर्यावरण अभियन्ता)			
2	आवेदन की हार्ड कॉपी मय नवीनतम फोटो			
3	जन्म तिथि हेतु प्रमाण पत्र, जिससे जन्म तिथि प्रमाणित हो			
4	शैक्षणिक योग्यता			
	अंक पत्र-मैट्रिक/हाई स्कूल/सैकण्डरी			
	उपाधि/प्रमाण पत्र-मैट्रिक/हाई स्कूल/सैकण्डरी			
	अंकपत्र-हायर सैकण्डरी/सीनियर सैकण्डरी/इन्टरमीडिएट			
	उपाधि/प्रमाण पत्र-हायर सैकण्डरी/सीनियर सैकण्डरी/इन्टरमीडिएट			
	अंकपत्र-स्नातक-(बी0एससी/बीई/बीटेक)			
	उपाधि/प्रमाण पत्र(बी0एससी/बीई/बीटेक)			
	अंकपत्र अधिस्नातक-(एम एससी/एमटैक/एमई-)			
	उपाधि/प्रमाण पत्र- अधिस्नातक (एम एससी/एम टैक/एमई-)			
5	अभ्यर्थी आवेदन की अन्तिम तिथि को अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता प्राप्त था या उसके बाद प्राप्त की गई है ?			
6	यदि अभ्यर्थी आवेदन के समय की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता उत्तीर्ण नहीं था तो क्या आवेदन की तिथि तक उस परीक्षा के अन्तिम वर्ष के पाठ्यक्रम की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका था ?			
7	क्या अभ्यर्थी अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता की परीक्षा तिथि तक उत्तीर्ण है ?			
8	अभ्यर्थी आवेदन पत्र व प्रवेश पत्र पर अंकित अपनी श्रेणी में ही है या उससे भिन्न श्रेणी में?			
9	यदि अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी का है, तो वह आवेदन की तिथि से पूर्व अपनी आरक्षित श्रेणी में आ चुका था, या उसके बाद सम्मिलित हुआ था?			
10	यदि अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी का है तो क्या उसने राजस्थान का मूल निवासी होने का साक्ष्य प्रस्तुत किया है?			
11	आयु			
	1-अभ्यर्थी की विज्ञप्ति में निर्धारित तिथि 1-1-2017 को आयु क्या है			
	2-विज्ञप्ति के अनुसार निर्धारित तिथि को आयु सीमा			
	3-अभ्यर्थी उक्त क0सं0 1 या 2 में से स्वयं को किस श्रेणी में मानता है?			
12	अधिकतम आयु सीमा में विविध श्रेणियों/वर्गों के लिए देय छूट के सामान्य प्रावधान			
क्र.सं.	अभ्यर्थियों का वर्ग	अधिकतम आयु में देय छूट वर्षों में	अभ्यर्थी टिक करे	
I	राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के पुरुष	5		

II	राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के महिला	10		
III	सामान्य वर्ग की महिला	5		
IV	विधवा एवं विछिन्न विवाह (परित्यक्ता)महिला	कोई अधिकतम आयु लागू नहीं		
V	विशेष योग्यजन			
	सामान्य	10		
	पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग	13		
	अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति	15		
VI	कोई अन्य			
VII	आयु सम्बन्धी उक्त नियम सामान्य स्वरूप के हैं किसी पद या परीक्षा विशेष के लिए अन्य नियम भी लागू हो सकते हैं जिससे सम्बद्ध विस्तृत विवरण विज्ञप्ति में देखा जा सकता है			
VIII	उक्त प्रावधानों में वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान असंचयी हैं अर्थात् अभ्यर्थियों को किसी प्रावधान में अधिकतम आयु में छूट का लाभ दिया जायेगा एक से अधिक प्रावधान को जोड़कर नहीं			
13	अनुभव प्रमाण पत्र			
14	मूल निवास प्रमाण पत्र			
15	जाति प्रमाण पत्र नॉन कीमीलेयर			
16	यदि पूर्व से राजस्थान राज्य सेवा में संस्थाई सेवारत हैं उसका प्रमाण पत्र एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र			
17	दिनांक 01-06-2002 एवं उसके पश्चात् सन्तान सम्बन्धी धोषणा			
18	विशेष योग्यजन प्रमाण पत्र			
19	यदि विवाहित हैं तो विवाह सम्बन्धी प्रमाण पत्र			
20	विधवा एवं विवाह विच्छिन्न विवाह(परित्यक्ता) महिला (प्रमाण)			
21	राष्ट्रीयता			
22	अन्य प्रमाण पत्र			

आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर
पता
मोबाईल नम्बर
ई-मेल एड्रेस

कार्यालय टिप्पणी

क्र०सं०	विवरण	हाँ	नहीं
1	क्या आवेदन की हार्डकापी 2 प्रतियों में प्राप्त हुई		
2	क्या आवेदक द्वारा भरी गई श्रेणी (वर्ग) हेतु वे पात्र हैं?		
3	क्या आवेदक ने निर्धारित तिथि से पूर्व शैक्षणिक योग्यता प्राप्त कर ली है?		
4	क्या आवेदक नियमानुसार आयु सीमा में है?		
5	यदि नियमानुसार आयु सीमा में नहीं है तो आयु में छूट लिये जाने का कारण मय दस्तावेज है		

अभिप्राय

6	आवेदक को स्पष्ट रूप से चयन हेतु अनुमति दीजाये		
7	निम्न कारणों से अस्थाई सशर्त रूप से चयन हेतु अनुमत किया जाये/अपात्र घोषित किया जाये		

हस्ताक्षर मय दिनांक

नाम

पदनाम